रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29072026-274941
CG-MH-E-29072026-274941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 2026/श्रावण 3, 1948
No. 470] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 2026/SHRAVAN 3, 1948

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## शुद्धि-पत्र

मुंबई, 23 जुलाई, 2026

## [म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों (म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2026

**सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/314 .—** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की तारीख 1 जुलाई, 2026 की अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/305 (जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III , खण्ड-4 में प्रकाशित हुई थी) में, हिन्दी रूप में –

1. पैरा 2 के बाद दिए हुए शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” को अंकों, चिह्न तथा शब्दों “3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड” के रूप में पढ़ा जाएगा ।

2. इस प्रकार बने पैरा 3 में,-

   I. पैरा (V)(क)(ii) में, अंत में चिह्न “;” लगा हुआ पढ़ा जाएगा ।

   II. पैरा (XI) में, नई जोड़ी गई अनुसूची-I ख में,-

(i) पैरा (5)(झ)(viii) में, अंत में दिए हुए शब्द तथा चिह्न " कारण" " को शब्द तथा चिह्न "कारण ।" के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(ii) पैरा (7) में दिए हुए अंतिम खंड "(ड)" को खंड "(ढ)" के रूप में पढ़ा जाएगा, और उससे पहले यह खंड जोड़ा जाएगा - "(ड) यह बताया जाए कि म्युनिसिपल डैट सिक्यूरिटीज़ के अलॉटमेंट और इश्यू के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और यह कब-कब किया जाएगा ।" ।

(iii) पैरा (8)(I) में दी हुई क्रम संख्याएँ "(a)", "(b)", "(c)" एवं "(d)" क्रमशः "(क)", "(ख)", "(ग)" एवं "(घ)" के रूप में पढ़ी जाएँगी ।

(iv) पैरा (8)(IV) में दी हुई क्रम संख्याएँ "a.", "b.", "c.", "d.", "e.", "f." एवं "g." क्रमशः "क.", "ख.", "ग.", "घ.", "ङ.", "च." एवं "छ." के रूप में पढ़ी जाएँगी।

(v) पैरा (9) में दी हुई क्रम संख्याएँ "a.", "b.", "c.", "d.", "e.", "f.", "g." एवं "h." क्रमशः "क.", "ख.", "ग.", "घ.", "ङ.", "च.", "छ." एवं "ज." के रूप में पढ़ी जाएँगी।

(vi) पैरा (10) में दी हुई क्रम संख्याएँ "a." एवं "b." क्रमशः "क." एवं "ख." के रूप में पढ़ी जाएँगी ।

(vii) पैरा (11) में दी हुई क्रम संख्याएँ "a.", "b.", "c.", "d.", "e." एवं "f." क्रमशः "क.", "ख.", "ग.", "घ.", "ङ." एवं "च." के रूप में पढ़ी जाएँगी ।

(viii) पैरा (12) में दी हुई क्रम संख्याएँ "(a)", "(b)" एवं "(c)" क्रमशः "(क)", "(ख)" एवं "(ग)" के रूप में पढ़ी जाएँगी ।

(ix) पैरा (13) में दी हुई क्रम संख्याएँ "(a)", "(b)", "(c)", "(d)", "(e)" एवं "(f)" क्रमशः "(क)", "(ख)", "(ग)", "(घ)", "(ङ)" एवं "(च)" के रूप में पढ़ी जाएँगी।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./239/2026-27]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**CORRIGENDUM**

Mumbai, the 23rd July, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF MUNICIPAL DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/314.—** In the notification of the Securities and Exchange Board of India, No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/305 dated July 1, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, in the English version –

1. In paragraph 3.XI, in inserted 'Schedule IB',

   I. in paragraph 9.a,

   (a) the numbering of clause (vi) shall be read as clause (i).

   (b) the numbering of clause (vii) shall be read as clause (ii).

   (c) the numbering of clause (viii) shall be read as clause (iii).

   (d) the numbering of clause (ix) shall be read as clause (iv).

(e) the numbering of clause (x) shall be read as clause (v).

II. in paragraph 9.b,

(a) the numbering of clause (iv) shall be read as clause (i).

(b) the numbering of clause (v) shall be read as clause (ii).

(c) the numbering of clause (vi) shall be read as clause (iii).

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./239/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.24 22:13:01 +05'30'